**मध्यप्रदेश शासन**
**नगरीय विकास एवं आवास विभाग**
**मंत्रालय**
**//सूचना//**

भोपाल दिनांक 23/8/2022

क्रमांक–एफ–3–93/2021/18–5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक–3328/वि.यो. 496/नग्रानि/2020, भोपाल दिनांक 28/08/2020 द्वारा प्रकाशित सेंधवा विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सेंधवा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:–

1. आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर म0प्र0 ।
2. कलेक्टर, जिला बड़वानी म0प्र0 ।
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खरगोन म0प्र0।
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् सेंधवा म0प्र0।

**प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण**

1 **अध्याय–6**

**6.2 क्षेत्राधिकार**

**15. नवीन प्रस्तावित आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय कॉलोनियों के विकास अनुमति हेतु आवेदन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा–29 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु स्वीकार्य किए जावेंगे। आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 2.00 हेक्टेयर समूह आवासीय योजना एवं निम्न घनत्व आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर मान्य होगा । परन्तु यह बंधन ऐसी भूमि हेतु लागू नहीं होगा जो चारों और से विकसित तथा निर्मित है।**

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है ।

2 **अध्याय–6**

**6.2 क्षेत्राधिकार**

**15. नवीन प्रस्तावित आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय कॉलोनियों के विकास की अनुमति हेतु आवेदन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा–29 के अंतर्गत स्वीकार्य किए जावेंगे ।**

विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ0 शुभाशीष बैनर्जी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

CM Ghoshna Vikas yojana